By Hand

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 केआरएम/1/2012/एमयूआरडी2/एसईपीआरओएम/आर.यू.-II

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 10.09.2012

सेवा में,

महानिदेशक,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली

विषय: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्री कमल राम मीणा एवं श्री बाबू लाल मीणा को सहायक अभियन्ता (सिविल) से कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के संबंध में महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 27-08-2012 को हुई बैठक/सुनवाई की कार्यवाही के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आप इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24-08-2012 का संदर्भ लें। इस मामले पर आयोग में दिनांक 27-08-2012 समय 12:30 बजे अपराह्न में आपके साथ सम्पन्न बैठक में हुई चर्चा के कार्यवृत की एक प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत में उठाये गये बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही के पूर्ण विवरण से यथाशीघ्र इस आयोग को अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(एस.पी. मीणा)
सहायक निदेशक

बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि के साथ सूचनार्थ प्रतिलिपि सेवा में प्रेषित:-

1. श्री कमल राम मीणा, सहायक अभियन्ता(सि.) लोक निर्माण विभाग (जीएनसीटीडी), उप खण्ड एम-3422, एसयू ब्लाक, पीतमपुरा, नई दिल्ली।
2. श्री बाबू लाल मीणा, सहायक अभियन्ता, सीबीएम सब-डीएम-4322, ग्राउंड फ्लोर, एमएसओ बिल्डिंग, नई दिल्ली-110002
3. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव।
4. सदस्य (बी.एल.एम.) के निजी सचिव।
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव।
6. सहायक निदेशक (समन्वय)।
7. एसएसए, एनआईसी।
8. फाईल सं0 रिव्यू 1/यूडी-11/सर्विस/2007/आर.यू.-II में अभिलेख हेतु प्रतिलिपि।

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

सं0 केआरएम/1/2012/एमयूआरडी2/एसईपीआरओएम/आर.यू.-II

विषय: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्री कमल राम मीणा एवं श्री बाबू लाल मीणा को सहायक अभियन्ता (सिविल) से कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के संबंध में महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 27-08-2012 को हुई बैठक/सुनवाई की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित:-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	डा0 रामेश्वर उरांव	अध्यक्ष
2.	श्री भैरू लाल मीणा	सदस्य
3.	श्री आदित्य मिश्रा	संयुक्त सचिव
4.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर	उप निदेशक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

1.	श्री एस0 के0 मित्तल	महानिदेशक
2.	पी0के0 गर्ग	उप महानिदेशक (कार्मिक)

प्रार्थी

1.	श्री बाबू लाल मीणा	सहायक अभियन्ता

विषय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सहायक अभियन्तागण को कार्यपालक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के संबंध में।

पृष्ठभूमि –

1. श्री कमलराम मीणा, सहायक अभियन्ता (सिविल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालक अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु अभ्यावेदन दिनांक 01-02-2012 आयोग को प्रस्तुत किया जिस पर आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण

Rameshwar Oraon

डा0 रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विभाग को पत्र दिनांक 08-02-2012 एवं अनुस्मरण पत्र 13-04-2012 भेजा गया। मामले में संबंधित प्राधिकारीगण से कोई उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग के माननीय सदस्य भैरू लाल मीणा ने महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रकरण पर चर्चा हेतु दिनांक 15-05-2012 को बुलाया गया। तद्नुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से श्री पी0के0 गर्ग, उप महानिदेशक एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारीगण दिनांक 15-05-2012 को आयोग में प्रस्तुत हुए। मामले में हुई चर्चा/सुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01-06-2012 द्वारा भेजा गया।

2. मामले पर दिनांक 15-05-2012 की बैठक की कार्यवाही का महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई अनुपालनात्मक जवाब नहीं देने पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा द्वारा दिनांक 26-07-2012 को महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को बुलाया गया। किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से उक्त तिथि को आयोग में संबंधित प्राधिकारी उपस्थित नहीं हुए इसलिए माननीय सदस्य द्वारा महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को मामले पर चर्चा हेतु दिनांक 22-08-2012 को पुनः बुलाया गया। उक्त तिथि को महानिदेशक नहीं आये तथा श्री पी0के0 गर्ग, उप महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं श्री डी0आर0के0 राव, उपनिदेशक (प्रशासन-I), आयोग में उपस्थित हुए अतः महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रकरण पर चर्चा हेतु अग्रिम दिनांक 27-08-2012 को आयोग में बुलाने का निर्णय लिया।

3. श्री एस0 के0 मित्तल, महानिदेशक और श्री पी0के0 गर्ग, उपमहानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी दिनांक 27-08-2012 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए एवं जानकारी दी कि आयोग के पिछली बैठक दिनांक 22-08-2012 में जानकारी चाही थी कि सीपीडब्लयूडी ने CAT से कुछ इंजीनियर्स बाबत् पदोन्नत करने के लिए अनुमति ली थी। सीपीडब्ल्यूडी के उपरोक्त अधिकारियों ने जानकारी दी कि जो अधिकारी वर्ष 2002 की वरिष्ठता सूची में ~~अनजाने~~ में रह गये थे उन्हें पदोन्नत करने की प्रक्रिया के लिए अनुमति ली गयी थी तथा वर्ष 2002 के वरिष्ठता सूची के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं तथा सीपीडब्ल्यूडी किस आधार पर CAT के समक्ष अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी जो कि वर्ष 2002 की वरिष्ठता सूची में नहीं है, को भेजना उचित नहीं हैं तथा वर्ष 2002 की वरिष्ठता सूची पर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है तथा निर्णय सुरक्षित रखा गया है। महानिदेशक ने यह भी

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

उल्लेख किया कि वर्ष 2002 के अनुसार श्री मीणा की पदोन्नति नहीं हो सकती क्योंकि वर्ष 2002 की सूची में उनका नाम नहीं आता है उनका नाम वर्ष 2003 की वरिष्ठता सूची में आता है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा मामले में माननीय कोर्ट के निर्णय पर अग्रिम कार्रवाई सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की जाएगी। प्रार्थी जो कि बैठक में उपस्थित थे उन्हें उपरोक्त से स्पष्टतः अवगत करवा दिया गया।

4. माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक को सलाह दी कि सीपीडब्ल्यूडी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों की गणना रोस्टर रजिस्टर के अनुसार कर आयोग को सूचित करें एवं माननीय CAT के निर्णय से भी आयोग को अवगत कराएं।

5. प्रार्थी श्री मीणा को सलाह दी गयी कि यदि उन्हें कोई शंका या संतोषजनक बात कहनी है उन परिस्थितियों में वह सीपीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों के सम्मुख/मिलकर अपने प्रकरण में बातचीत कर सकते हैं।

Rameshwar Oraon.

डा० रामेश्वर ... Dr. RAMESHWAR ORAON
... Chairman
... जनजाति आयोग
... for Scheduled Tribes
National ... Govt. of India
भारत ...
नई दिल्ली / New Delhi